Unit - III

Agency its definition and essential distinction

between agent and servant essentials of agency transactions various methods of creation agency duties and rights of agent scope and extent of agent is authority liability of the principal for act of the agents liability the agent towards the principal personal liability towards the parties methods of termination of agency

अभिकरण (Agency):–

औद्योगिक एवं उन्नत देशो में आजकल अभिकरण का प्रचलन न केवल व्यापक है अपितु लोकप्रिय भी हैं। व्यापारिक व्यस्तता के कारण स्वयं मालिक सभी व्यक्तियों से न तो सम्पर्क स्थापित कर सकता है और न ही अकेला कोई संव्यवहार ही कर सकता है। वह अपने सवकों, प्रतिनिधियो अथवा अभिकर्ताओ के माध्यम से ये सारे कार्य करवाता है और प्रकिया अथवा माध्यम को अभिकरण कहा जाता है।

यह एक ऐसी संविदा है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किन्ही अन्य व्यक्तियों को अपनी सेवा मे लेने का निर्णय इस उद्देश्य से लेता है कि वह व्यक्ति उसके तथा अन्य व्यक्तियों के बीच होने वाले विधिक संव्यवहारो में अपनी ओर से जिम्मेदारी के साथ उसका प्रतिनिधित्व करे।

धारा 182 ''अभिकर्ता'' और ''मालिक'' की परिभाषाः–

अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर–व्यक्तियों से व्यवहारो में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है ''मालिक'' कहलाता है।

अभिकरण के आवश्यक तत्वः– (Essential elements of Agency):–

01. अभिकरण मे कम से कम से कम दो पक्षकारो का होना आवश्यक है मालिक (Principal) एवं ख अभिकर्ता (Agent).

02 अभिकर्ता अपने मालिक से अथवा मालिक की सम्मति से प्राधिकार प्राप्त करता है।

03 अभिकर्ता अपने मालिक एवं तीसरे व्यक्ति के बीच विधिक सम्बन्ध स्थापित करता है वह स्वयं किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता।

04 मालिक अनन्य रूप से तीसरे व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है।

धारा 183 अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकेगाः–

वह व्यक्ति जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्यधीन है ,प्राप्तवय हो और स्वस्थ चिन्त हो, अभिकर्ता नियोजित कर सकगा।

धारा 184 अभिकर्ता कौन हो सकेगाः–

01 जहॉ तक कि मालिक और पर–व्यक्तियों के बीच का सम्बन्ध है कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकेगा, अथति अवयस्क व्यक्ति भी अभिकर्ता हो सकता है।

02 लेकिन जहॉ किसी अभिकर्ता को मालिक के प्रति उत्तरदायी बनाना हो, वहॉ उसका (क) प्राप्तव्य अधति वयस्क, एवं (ख) स्वस्थापित होना आवश्यक है किसी अवयस्क अभिकर्ता को उसके संरक्षक द्वारा कारित क्षति के लिए उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता।

प्रतिफल आवश्यक नही है धारा 185 :–

मे यह सुव्यवस्थित किया गया है कि एजेन्सी की संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक नही है जबकि सामान्य संविदा के लिए प्रतिफल अति आवश्यक है । बिना प्रतिफल के सामान्य संविदा शून्य होती है ऐजेन्सी की संविदा बिना प्रतिफल के भी वैध होती है।

अभिकर्ता के प्रकारः– (Kinds Of Agents)

01 **आढतिया (**Facter) जिसे बिक्री के उद्देश्य से माल कब्जा दे दिया जाता है जिसका ऐसे माल को बेचना उसके नियंत्रण मे हो जो मालिक ने उसे दिया है।

02 दलाल (Broker) इसे मालिक की सम्पत्ति बेचने या सविदा करने को रखा जाता है, परन्तु इस माल पर कब्जा नही दिया जाता है।

प्रत्यायक अभिकर्ताः–

इसका मालिक के नाम से की गयी संविदाओ के अन्तगत कोई दायित्व नही होता वह उन संविदाओं को न तो लागू करा सकता है नही उसके विरूद्व की जा सकती है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी होती है जिसे मालिक ने तीसरे व्यक्ति से सम्बन्ध बनाया है और वह संविदा तोड रहा है तो अभिकर्ता दायी होगा यही प्रत्यायक अभिकर्ता होता है।

एजेन्सी की स्थापनाः–

01 **स्पष्ट रूप से नियोजनः**– अभिकर्ता की न्यूक्ति लिखित या मौखिक हो सकती है जो उसमें सक्षम हो अभिकरण क स्थापना मालिक की इच्छा से होती है। किसी पर व्यक्ति द्वारा ऐसा करने की अधिकार प्राप्त हो नियोजित अभिकर्ता धारा 182 के में आयेगा कोट न झगडालू प्रकृति के व्यक्ति को भी अभिकर्ता माना कोर्ट ने अभिकर्ता द्वारा लिये गये ऋण की मालिक को आबाद ठहराया।

02 आचरण द्वाराः– एक व्यक्ति दूसरे ऐसी स्थिति लोने देता है कि लगे कि दूसरा व्यक्ति पहले का Agent है

A अपने लडके B को कार दी तथा उसका मरम्मत तथा तेल का पैसा स्वयं देता है, B Accident कर देता है अतः A का Agent B हुआ और उसके लिए A ही liable होगा।

दृश्यमान प्राधिकरण (Astensible autherty):–

यह वह अधिकार है जो कि अन्य लोगों को प्रतीत होता है कि अभिकर्ता को ऐसा करने का अधिकार है। मालिक अपने शब्दों या आचरण से ऐसा प्रकट करता है कि एजेन्ट को अधिकार दिया गया है जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऐसी अवस्था में ऐजेन्ट व्यक्ति से संविदा कर लेता है तो मालिक उसके लिए वाध्य होगा। सह सिद्वान्त वास्तव में विवधन का सिद्वान्त है।

पिकरिंक Vs बस्कः– A ने B जो दलाल है उससे हिंग खरीदा और उसी के पास रख दिया B ने उसे बेच दिया निर्णीत हुआ कि क्रय व दलाल द्वारा प्राप्त कीमत मालिक पर बाध्यकारी थी।

पति और पत्नी के बीच ऐजेन्सीः– पत्नी पति की ऐजेन्ट मानी जाती है यदि साथ–साथ घर में रह रहे है पत्नी अपनी गलतियो से वाहर रहती है तो ऐजेन्ट नही होगी।

डेघनहास Vs मेलनः– प्रतिवादी होटर में प्रबन्धक या साथ मे उसकी पत्नी रहती थी पत्नी ने साड़ी उधार खरीदी पति देने को Bound नही होगा क्योकि उनका अपना घर नही था।

आवश्यकता के द्वारा एजेन्सीः–

आवश्यकता की एजेन्सी तब उत्पन्न होती है जब संकटकालीन स्थितियों में किसी व्यक्ति पर उत्तरदायित्व होता है कि दूसरे की ओर से कार्य करे जिससे कि क्षति को बचाया जा सके। सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाने की आवश्यकता से भी एजेन्सी निर्मित हो सकती है।

अनुसमर्थन द्वाराः–

सविदा अधिनियम की धारा196 के अनुसार एजेन्सी अनुसमर्थन के द्वारा भी स्थापित की जा सकती है। यदि ऐन्ट कोई कार्य विना मालिक के अधिकार से करता है तथा मालिक उस कार्य को सर्मथन कर देता है तो एजेन्सी निर्मित हो जाती है। अनुसमर्थन अभिव्यक्त अथवा विवक्षित हो सकता है परन्तु ऐसे कार्य का अनुसर्मथन नही किया जा सकता है जो दूसरे को नुकसान कारित करता हो तथा विधिपूर्ण कार्य न हो।

अभिकर्ता के अधिकारः–

अभिकर्ता को अपने स्वामी के विरूद्व निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है–

01 पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार–

संविदा अधिनियम की धार 219 के अनुसार अभिकर्ता का सबसे पहला अधिकार है– अपने मालिक से पारिश्रमिक प्राप्त करना। जब अभिकर्ता को सौपा गया कार्यपूर्ण हो जाता है तब अभिकर्ता उस कार्य के लिए अपने मालिक से पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार हो जाता है।

उराहरणः– ग ने 1000 रूपये वसूल करने के लिए ख को क नियोजित करता है ख के उक्चार से वह धन वसूल नही होता। ख अपनी सेवाओं के लिए किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नही है।

01 क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने का अधिकारः–

कुछ अवस्थाओं में अभिकर्ता अपने के हुई क्षति के लिए मालिक से प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होता है। ऐसी अवस्थाऍ निम्नांकित हो सकती हैं–

अभिकरण का प्रतिसंहरण कर दिये जाने धारा 205 के अनुसार किसी अभिकरण का सृजन एक निश्चित समयावधि के लिए किया गया हो और ऐसी अवधि के पूर्व ही बिना किसी युक्तियुक्त कारण के

उसका प्रतिसहरण कर दिया जाता है वहॉ अभिकर्ता अपने मालिक से प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा।

विधिपूर्ण कार्यो के परिणामों के लिए धारा 222 के अनुसार जब अभिकर्ता अपने मालिक से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है तो वह ऐसे कार्यो के परिणामों के लिए मालिक से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार है।

मालिक की उपेक्षा से करित क्षति धारा 225 के अनुसार अभिकर्ता अपने मालिक से ऐसी क्षति के लिए प्रतिकर पाने का हकदार होता है जो उसे मालिक की उपेक्षा से या कौशल के अभाव से कारित हूई है।

सदभावना से किये गये कार्यो के परिणामों के लिए धारा 223 के अनुसार जहॉ कोई अभिकर्ता अपने प्राधिकार में रहते हूए सदभावनापूर्वक कोई कार्य करता है, वहॉ वह ऐसे कार्य के परिणामों के लिए मालिक से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होता है। यहॉ यह और उल्लेखनीय है कि मालिक अभिकर्ता के आपराधिक कार्यो के लिए दायी नही होता (धारा 224)

मालिक के लेखे प्राप्त राशियो का रोके रहने का अधिकार धारा 217 के अनुसार अभिकर्ता अभिकरण के कारवार में मालिक के लेखे प्राप्त राशियों मे से निम्नांकित धन को रोक कर रख सकता है–

(1) कारबार के संचाल में उसके द्वारा किये गये अग्रिम धन

(2) उचित रूप से उपगत व्यय एवं

(3) अभिकर्ता के तौर पर कार्य करने के लिए देय पारिश्रमिक

मालिक की सम्पत्ति पर धारणाधिकारः–

धारा 221 के अनुसार अभिकर्ता अपने को प्राप्त मालिक के माल, कागज–पत्र एवं अन्य धन अथवा अवल सम्पत्ति को तब तक अपने कब्जे में रोके रख सकता है जब तक कि उसे उसके कमीशन, संवितरण एवं सेवाओं की बाबत शोध्य रकम का संदाय नही कर दिया जाता।

<u>मालिक के प्रति अभिकर्ता के कर्त्तवयः–</u>

01 मालिक के निर्देशो के अनुसार कार्य करने का कर्त्तव्य धारा 211 के अनुसार अभिकर्ता का यह प्रथम कर्त्तव्य है कि वह मालिक क निर्देशो के अनुसार कार्य करें एवं जहॉ मालिक द्वारा कोई निर्देश नही दिया जाये, वह कारवार की रूठि के अनुसार कार्य करें। यदि अभिकर्ता इसमें चूक करता है तो वह मालिक की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा।

इस प्रकार अभिकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक अवस्था में मालिक के निर्देशो का पालन करे। यादि वह ऐसे निर्देशों का पालन करने में चूक करता है तो उसे धोर उपेक्षा का दोषी माना जायेगा और ऐसी उपेक्षा से कारित हानि की क्षतिपूर्ति के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी होगा।

पन्नालाब ब0 मोहनलाल AIR1961 S.C.H.

के मामले में एजेन्ट ने अपने मालिक की ओर से कुछ वस्तुएँ खरीदकर एकत्रित की। मालिक ने उनको स्पष्ट निर्देश दिये कि वह ऐसी वस्तुओं का वीमा करा ले पर उसने बीमा नही कराया। बम्बई डाकयार्ड में विस्फोट होने के कारण वस्तुएं नष्ट हो गई। हानि के लिए न्यायलय ने एजेन्ट का कर्त्तव्य का पालन न करने के लिए दोषी ठहराया।

अभिकर्ता द्वारा कौशल तथा उद्यम का प्रयोग धारा 212

के अनुसार प्रत्येक अभिकर्ता से यह अपेक्षा की जती है कि वह युक्तियुक्त तत्परता एवं कारोबार का संचालन करने में उतने कौशल का प्रयोग करे जितना कि उसमें है । यदि वह इसमें प्रत्यक्ष रूप से कारित मालिक की हानि या नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए वह उत्तरदायी होगा।

धारा 213 अभिकर्ता के लेख अभिकर्ता अपने मालिक की मांग पर उचित लेखा देने के लिए आबद्व है।

धारा 214 मालिक से सम्पर्क रखने का अभिकर्ता का कर्तव्यः अभिकर्ता का यह कर्तव्य है कि कठिनाई की दशाओं में अपने मालिक से सम्पर्क रखने और उसके अनुदेश अभिप्राप्त करने में समस्त सुक्तियुक्त तत्परता बरते।

एजेन्ट का कर्त्तव्य है कि वह अपने व्यक्तिगत हित को संघर्ष मे न आने दे– अभिकर्ता को अपनी एजेन्सी का कार्य इस प्रकार करवाना चाहिए कि उसके अपने व्यक्तिगत कर्त्तव्यों के बीच न आने पाये। धारा 215 के अनुसार कोई अभिकर्ता अपने मालिक की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना अभिकरण की विषयवस्तु मे से अपने अतिरिक्त अभिलाप को प्राप्त नही करेगा।

मालिक के लिए प्राप्त धन की देनगी का कर्त्तव्य धारा 218 के अनुसार अपनी वैध कटौतिया करने के पश्चात अभिकर्ता मालिक को उन समस्त राशियों का संदाय करने के लिए आबद्व है जो उसने मालिक के लेखे प्राप्त की है।

अभिकरण के कारबार में अभिकर्ता की अपने लेखा व्यवहार को करने से प्राप्त फायदे पर मालिक का अधिकार धारा 216 यदि कोई अभिकर्ता अपने मालिक के बिना अभिकरण के कारवार मे अपने मालिक के लेखा व्यवहार करने के वजाय अपने ही लेख व्यवहार करता है तो मालिक अभिकर्ता से उस फायदे का दावा करने का हकदार है जो अभिकर्ता को उस संव्यवहार से हुआ हो।

उदाहरणः– क अपने लिए अमुक गृह खरीदने का निदेश अपने अभिकर्ता ख को देता है। क से ख कहता है कि वह खरीदा नही जा सकता और उसे अपने लिए खरीद लेता है। यह जाचने पर कि ख ने गृह खरीद लिया है क उसे वह घर अपने को उस कीमत पर जो ख ने दी हो बेचने के लिए विवश कर सकेगा।

अभिकर्ता के मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से प्रतिधारण का अधिकार धारा 217 अभिकर्ता अभिकरण के कारवार में मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से उन सब बानो का जो उसे कारवार के संचालन में उसके द्वारा दिए गए अग्रिमों या उचित रूप से उपगत व्ययों के लिए उसको शोध्य हो और ऐसे परिश्रमिक का भी जो ऐसे अभिकर्ता के तौर पर कार्य करने के लिए उसे देय हो प्रतिधारण कर सकेगा।

अभिकर्ता का पारिश्रमिक कब शोध्य हो जाता है धारा 219 किसी विशेष संविदा के अभाव मे, किसी कार्य के पालन के लिए संदाय अभिकर्ता को तब तक शोध्य नही होता जब तक वह कार्य पूरा न हो जाये, किन्तु अभिकर्ता बेचे गये माल के लेखे उसे प्राप्तधन राशियों को प्रतिधृत कर सकेगा यद्यपि विक्रय के लिए उसे पारेशित माल सारे का सारा वेचा न जा सका हो, या विक्रय वस्तुतः पूर्ण न हुआ हो।

अवधारित कारबार के लिए अभिकर्ता पारिश्रमिक का हकदार नही है धारा 220 वह अभिकर्ता, जो अभिकरण के कारबार मे अववार का दोषी है, करबार के उस भाग के बारे में जिसे उसने अवचारित किया है, किसी पारिश्रमिक का हकदार नही है।

उदाहरण– ग से 100000 रूपया वसूल करने और उन्हे अच्छी प्रतिभूति पर लगाने के लिए ख को क नियोजित करता है। ख उन 100000 रूपयों को वसूल करता है और 90000 रूपया अच्छी प्रतिभूति पर लगाता है किन्तु 10000 रूपया ऐसी प्रतिभूति पर लगाता है जिसका बुरा होना उसे ज्ञात होना चाहिए था। इसके फलस्वरूप क को 2000 रूपये कि हानि होती है। ख 100000 रूपया वसूल करने के लिए और 90000 रूपया विनहित करने के लिए किसी पारिश्रमिक का हकदार नही हैं और उसे क को 2000 रूपये की प्रतिपूर्ति करनी होगी।

मालिक की सम्पति पर अभिकर्ता का धारणाधिकार धारा 221 तप्रतिकल संविदा के अभाव मे अभिकर्ता को यह हक है कि उसे प्राप्त मालिक का माल कागज पत्र और अन्य सम्पति चाहे वह जगह हो या स्थावर तब तक प्रतिधारित किए रहे जब तक उसे तत्सम्बन्धी कमीशन संवितरणों और सेवाओ की बाबत शोध्य रकम दे न दी जाय या उसका लेखा समझा न दिया जाय धार 189 आपात मे अभिकर्ता का प्राधिकार अभिकर्ता को आपात में यह प्रधिकार है कि हानि से अपने मालिक की संरक्षा करने के प्रयोजन से सारे ऐसे कार्य करे जैसे मामूली प्रज्ञावाला व्यक्ति अपने मामले मे वैसी ही परिस्थितियों में करता।

अभिकरण के पर्यवसान धारा 201 अभिकरण का पर्यवसान मालिक द्वारा अभिकरण के कारबार क त्यजन से अथवा अभिकरण के कारबार के पूरे हो जाने से अथवा मालिक क या अभिकर्ता के मर जाने या विकृतधित हो जाने से अथवा मालिक किसी ऐसे तत्समय प्रवृत अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जो दिवालीया ऋणियों के अनुतोष के लिए हो दिवालीया न्यायनिणर्ति किए जाने से हो जाता है।

मालिक द्वारा अपने प्राधिकार का प्रतिसंहरण कर लेने पर धारा 203 के अनुसार जब तक अभिकरण का सृजन किसी निश्चित अवधि तक के लिए नही किया गया हो, मालिक अपनी इच्छा से अभिकर्ता के अधिकार का कभी भी प्रतिसंहरण कर सकता है। ऐसे प्रतिसंहरण से अभिकरण का पर्यवसान हो जाता है। मालिक अपने अभिकर्ता को दिये गये प्राधिकार का प्रतिसंहरण उस समय तक कभी भी कर सकता है जब तक कि अभिकर्ता ऐसे कोई कार्य नही कर लेता जिससे कि मालिक आबाद हो जाये।

धारा 204 जहॉ अभिकर्ता ने अपने प्राधिकार का इस प्रकार भागतः प्रयोग कर लिया हो कि उससे मालिक अबद्व हो जाए तो मालिक अभिकर्ता के प्राधिकार कर प्रतिसंहरण नही कर सकता।

धारा 205 यदि एक निर्धारित समयावधि के पूर्व मालिक अपने अभिकर्ता के प्राधिकार का प्रतिसंहरण कर देता है या अभिकर्ता स्वयं अपने प्राधिकार का त्यजन कर देता है तो वे यथा स्थिति एक दूसरे को प्रतिकर देने के लिए अबद्व होगे।

धारा 206 प्रतिसंहरण या त्यजन की सूचना ऐसे प्रतिसंहरण या त्यजन की युक्तियुक्त सूचना देनी होगी अन्यथा यथास्थिति, मालिक को या अभिकर्ता को तदद्वारा होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति एक को दूसरा करेगा। यह किसी अभिकरण के लिए समय निर्धारित नही हो वहॉ अभिकरण के प्रतिसंहरण या उसके त्यजन के लिए युक्तियुक्त सूचना दी जानी आवश्यक है। यूक्तियूक्त सूचना देकर किसी अभिकरण का पर्यावसन किया जा सकता है। जिसकी कालावधि के बारे मे कोई संविदा नही की गई है।

धारा 207 प्रतिसंहरण और त्यजन अभिव्यक्त या विपक्षित हो सकेगा– प्रतिसंहरण और त्यजन अभिव्यक्त हो सकेगा अथवा मालिक या अभिकर्ता के अपने–अपने आचरण द्वारा विवक्षित हो सकेगा।

उदाहरण– क अपना गृह भाडे पर देने के लिए ख को सशक्त करता हैं। तत्पश्चात क स्वयं उसे भाडे पर दे देता है। यह ख के प्राधिकार का विवक्षित प्रतिसंहरण है।

धारा 209 मालिक के मृत्यु या उन्मतता के द्वारा अभिकरण के पर्यवसान पर अभिकर्ता का कर्तव्य– जबकि मालिक की मृत्यु हो जाने या उसके विकृत चिन्ह हो जाने से अभिकरण का पर्यवसान हो जाए तब अभिकर्ता अपने को न्यस्त हितो के संरक्षण और परिरक्षण के लिए अपने अभूतपूर्व मालिक के प्रतिनिधियों की ओर से सभी युक्तियुक्त कदम उठाने क लिए आबद्व हैं

अभिकर्ता तथा नौकर मे अन्तर–

अभिकता–

01 अपने मालिक के दिशा निर्दशो के अनुसार कार्य करता है।

02 यह कभी नौकर नही हो सकता है।

03 कमीशन या शुल्क के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता है।

04 मालिक के साथ संविदात्मक सम्बन्ध होते है।

05 अभिकर्ता के अपकृत्य के लिए मालिक उत्तरदायी नही होता है।

नौकर–

01 दिशा निर्देशों के साथ–साथ नियोक्ता द्वारा बताई विधि तथा क्रम में कार्य करता है।

02 यह अभिकर्ता भी हो सकता है।

03 वेतन के रूप में प्राप्त करता है।

04 ऐसे कोई सम्बन्ध नही होते है।

05 मालिक अपने नौकर के अपकृत्य के लिए उत्तरदायी होता है।

अभिकर्ता के प्रति मालिक का कर्तव्य–

धारा 222 विधिपूर्ण कार्यो के परिणामो के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी

धारा 223 सदभाव के लिए गय कार्यो के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी।

धारा 224 आपराधिक कार्य करने के लिए अभिकर्ता के नियोजन का अदायित्व

धारा 225 मालिक की उपेक्षा से कारित क्षति के अभिकर्ता को प्रतिकर

धारा 226 अभिकर्ता की संविदाओं का प्रवर्तन और उनके परिणाम

धारा 227 मालिक कहॉ तक आबद्व है जबकि अभिकर्ता प्रधिकार से आगे बढ जाता है।

धारा 228 मालिक आबद्व न होगा जहॉ कि अभिकर्ता के प्रधिकार से परे किया गया कार्य पृथक नही किया जा सकता।

धारा 229 अभिकर्ता को दी गई सूचना के परिणाम

धारा 237 यह विश्वास करने वाले मालिक का दायित्व कि अभिकर्ता के अप्राधिकृत कार्य प्रधिकृत हो।

धारा 238 एजेन्ट द्वारा दुर्व्यपदेशन या कपट का करार पर प्रभाव।